

128

संख्या 842/XXIV-2/11-9(11)/2008

प्रेषक,

सुबर्द्धन
अपर सचिव (स्वतंत्र प्रभार)
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शिक्षा अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक 26 सितम्बर, 2011

विषय- प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों / शासन द्वारा सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों / पूर्व माध्यमिक विद्यालयों / प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के उपरान्त शैक्षणिक सत्र के अन्त तक सत्रांत लाभ दिये जाने के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या 329/XXIV-2/2007 दिनांक 08.04.2011 के प्रस्तर-4 में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों / शासन द्वारा सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों / पूर्व माध्यमिक विद्यालयों / प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों / प्रधानाध्यापकों / प्रधानाचार्यों को अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के उपरान्त शैक्षणिक सत्र के अन्त तक पुनर्नियुक्ति संबंधी शिक्षा अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या- 694/XXIV-2 / 2007 दिनांक 30 नवम्बर, 2007, एवं शासनादेश संख्या 470/XXIV-2 / 2007 दिनांक 18 मई 2011 को अतिक्रमित करते हुए शासनादेश सं0 329/XXIV-2/2007 दिनांक 8 अप्रैल 2011 के प्रस्तर 4 में यह व्यवस्था की गई है कि वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2 भाग 2 से 4 के मूल नियम 56 (क) में संशोधन के विषय में व्यवस्था निर्गत करने की तिथि से लागू होगी।

2- उपर्युक्त शासनादेश के प्रस्तर-4 को संशोधित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मूल नियम 56 (क) में वित्त विभाग द्वारा यथासमय संशोधन किया जायेगा।

3- शासनादेश दिनांक 08 अप्रैल, 2011 में उल्लिखित व्यवस्था तात्कालिक प्रभाव से लागू होगी।

4- इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि से पूर्व ऐसे अध्यापक/प्रधानाचार्य जिन्हे शैक्षणिक सत्र 2010-11 के अन्त तक पुनर्नियुक्ति प्रदान की गई है, वे पुनर्नियुक्ति सम्बन्धी शासनादेश सं० 694 XXIV-2/2007 दिनांक 30 नवम्बर 2007 से ही आच्छादित रहेंगे।

5- शासनादेश दिनांक 8 अप्रैल 2011 को केवल उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। शेष शर्तें यथावत रहेगी।

6- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-561/XXVII(7)/2011 दिनांक 19 सितम्बर, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(सुबर्द्धन)

अपर सचिव (स्वतन्त्र प्रभार)

संख्या-848(1)/XXIV-2/11/9(11)/2008 तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- निजी सचिव-मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- निजी सचिव-मा० शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड, द्वारा निदेशक।
- 5- समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड, द्वारा निदेशक।
- 7- अपर शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
- 8- समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड, द्वारा निदेशक।
- 9- प्रभारी, एन०आई०सी० सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 10- प्रभारी, मीडिया सेंटर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 11- वित्त (वे०आ०-सा०वि०) अनुभाग-7 उत्तराखण्ड शासन।
- 12- शिक्षा अनुभाग-1 (बेरिक)/शिक्षा अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन।
- 13- गार्ड फाईल

आज्ञा से

(कवीन्द्र सिंह)

अनु सचिव